



Helpline

1064



94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➤ कोटपूतली-बहरोड़ में पटवारी 8 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

जयपुर, 04 जुलाई गुरुवार/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की अलवर-प्रथम इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये सुमेर पटवारी पटवार हल्का सांतो, तहसील माडण, जिला कोटपूतली-बहरोड़ को परिवादी से 8 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की अलवर-प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा एक शिकायत इस आशय की दी गई कि रजिस्टर्ड दानपत्र का नामान्तकरण खोलने की एवज में आरोपी सुमेर पटवारी पटवार हल्का सांतो, तहसील माडण, जिला कोटपूतली-बहरोड द्वारा 8 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत के सुपरवीजन में ए.सी.बी. की अलवर-प्रथम इकाई के उप अधीक्षक पुलिस श्री महेन्द्र कुमार के नेतृत्व में आज मय टीम के ट्रैप कार्यवाही करते हुए सुमेर पटवारी पटवार हल्का सांतो, तहसील माडण, जिला कोटपूतली-बहरोड को परिवादी से 8 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी द्वारा शिकायत से पूर्व भी परिवादी से 1 हजार रुपये रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ तथा आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं WhatsApp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।